

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2025 दि0 लखनऊ: नवम्बर 12, 2025

-:: संशोधित आदेश ::-

मुख्यालय के आदेशांक 1274/2025 दिनांक 08-10-2025 के द्वारा माह नवम्बर, 2025 में जनपद नोएडा में युगलपीठ का गठन दिनांक 17-11-2025 से 21-11-2025 तक एवं 25-11-2025 से 29-11-2025 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 नोएडा को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ-1, नोएडा के द्वारा दिनांक 10-11-2025 से 29-11-2025 तक पोर्टल के माध्यम से चाइल्ड केयर अवकाश आवेदित किया गया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1274/2025 दिनांक 08-10-2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद नोएडा में गठित युगल पीठों में न्यायिक सदस्य, पीठ-1 नोएडा के स्थान पर दिनांक 17-11-2025 से 21-11-2025 तक गठित युगल पीठ में न्यायिक सदस्य, अलीगढ़ पीठ एवं दिनांक 25-11-2025 से 29-11-2025 तक गठित युगल पीठ में न्यायिक सदस्य, बरेली पीठ को नामित किया जाता है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/- 12.11.2025

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1444/2025 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2 नोएडा।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, अलीगढ़ पीठ, अलीगढ़।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, बरेली पीठ, बरेली।
- 4- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।